सुसाइड कैप्सूल

Result Mitra

- हाल ही में स्विट्जरलैंड में पहली बार इसका प्रयोग किया गया था जब अमेरिका की एक महिला ने सुसाइड कैप्सूल जरिए अपनी जान दे दी थी।
- इस मशीन को बनाने वाले डॉ. फिलिप निश्फे, जिन्हें डॉक्टर डेथ नाम दिया गया है इन्होनें बताया है कि कैप्सूल के अंदर जाने वाले शख्स को आठ शब्दों का एक मैसेज सुनाई देता है।
- अमेरिका की जिस महिला ने सुसाइड कैप्सूल में वह गंभीर इम्यून कॉम्प्रोमाइज की समस्या का समाना कर रही थी।

कैप्सूल का प्रयोग

- आराम से लेट सकें।
- इसके बाद उसे एक बटन दबाना होता है जो कैप्सूल के अन्दर ही होता है।
- प्रयोगकर्ता को जो संदेश सुनाई देता है।
- इफ यू वांट डाई, प्रेस दिस बटन यानी अगर आप मरना चाहते हैं तो यह बटन दबाइए।
- वाइस कंट्रोल एवं आई मूवमेंट से भी शुरू किया जा सकता है।
- एक बाद शुरू होने के बाद इस प्रोसेस को न तो रोका जा सकता है औन न ही रिवर्स किया जा सकता है।

Result Mitra

निर्माण

- नीदरलैंड की कंपनी एग्जिट इंटरनेशनल ने किया है।
- स्विट्जरलैंड समेत कुछ देशों में असिस्टेंड सुसाइड को लीगल माना है। जबकि भारत समेत कई देशों इच्छामृत्यु गैर-कानूनी है।

भारत में इच्छा मृत्यु

- भारत में इच्छा मृत्यु को आत्महत्या का प्रयास माना जाता है तथा यह अवैध है।
- भारतीय दंड संहिता की धारा 309 के तहत आत्महत्या करने की कोशिश पर दंड का प्रावधान है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने साल 2018 में सम्मान के साथ के अधिकार को मौलिक अधिकार माना था, इसके बाद, सर्वोच्च न्यायालय ने गंभीर रूप से बीमार लोगों के लिए इच्छामृत्यु से जुड़ी कुछ दिशा-निर्देश जारी किये थे।

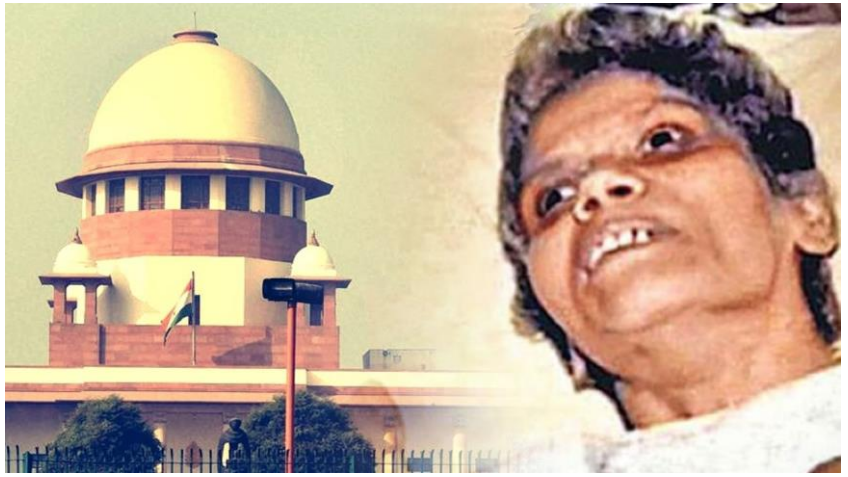

- वर्ष 2023 में सर्वोच्च न्यायालय ने इन दिशा-निर्देशों में बदलाव किया।
- कोमा में रहने वाले मरीजों को इच्छा मृत्यु दी जा सकती है।
- एड्स या कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों।
- इच्छा मृत्यु के लिए, रोगी की तरफ से मरने की इच्छा होना जरूरी है।
- प्राथमिक चिकित्सक को रोगी की देखभाल के लिए किए गए प्रयासों का दस्तावेज रखना होता है।

इच्छा मृत्यु 2 तरह से दी जाती है-

- 1. एक्टिव यूथेनेशिया - सक्रिय इच्छामृत्यु
- गंभीर बीमारी से ग्रसित व्यक्ति को डॉक्टर द्वारा जहरीली दवा या इंजेक्शन दिया जाता है।
- 2. पैसिव यूथेनेसिया - निष्क्रिय इच्छामृत्यु
- मरीज के इलाज को रोक दिया जाता है।
- वर्ष 2018 में भारत में SC ने पैसिव यूथेनेसिया को ही मंजूरी प्रदान की।
- ज्ञान कौन v/s पंजाब राज्य 1996
- अरूणा रामचंद्र शानबा v/s भारत संघ 2011